लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 06/2010

1. श्री जगदीश पुत्र श्री जगन्नाथ
2. श्री हरिराम पुत्र श्री जगन्नाथ
3. श्री मेघराज पुत्र श्री गोवरधन
4. श्री सुगनचंद पुत्र श्री गोवरधन

समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम शेषपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रोडू पुत्र श्री भूरा
2. श्री नाथू पुत्र श्री भूरा
3. हीरा पत्नी श्री भूरा
4. घीसी पुत्री श्री भूरा
5. हंगामी पुत्री श्री भूरा
6. श्री जगदीश पुत्र श्री जमना
7. श्री गोपाल पुत्र श्री जमना
8. मु0 लादी पत्नी श्री जमना
9. राधा पुत्री श्री जमना
10. अलोल पत्नी श्री सोहन
11. श्री सांवरा पुत्र श्री छोटू
12. शोभाग उर्फ श्री अशोक पुत्र श्री छोटू
13. उदी पुत्री श्री छोटू
14. रामपाली पुत्री श्री भूरा
15. रामपाली पुत्री श्री लाला

समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम शेषपुरा तहसील केकड़ी जिला अजमेर

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी, जिला अजमेर।

.....अप्रार्थीगण

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर * अजमेर *

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व
(कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

अपर कलक्टर
अजमेर

उपस्थितः 1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री शुभकरण सिंह चौधरी, सरकारी वकील।

Scanned by CamScanner

–: आदेश :–

दिनांक 08.06.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान ''न्याय आपके द्वार 2017'' का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 24.06.1995 को ग्राम पंचायत मुख्यालय खवास में आयोजित राजस्व शिविर में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर सर्व श्री भूरा, सोहन, लाला, जमना पुत्रगण श्री छीतर 4/5 मूली बेवा छोटू व सांवरा, सोभाग पुत्रगण श्री छोटू समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम शेषपुरा के पक्ष में ग्राम खवास स्थित आराजी खसरा नम्बर 1214/4 रकबा 5 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के पति/पिता के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए किन्तु जवाब नोटिस पेश नहीं किया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई। बहस हेतु निश्चित दिन वकील अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम खवास के गत खसरा नम्बर 1214/4 रकबा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर मिलान क्षेत्रफल के आधार पर 615 रकबा 4 बिस्वा बने है उक्त भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 612, 611, 613 से लगी हुई भूमि होकर प्रार्थीगण उक्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से काबिज काश्त चले आ रहे है व उक्त भूमि पर प्रार्थीगण ने अपनी रोडियां डाल रखी है व पथवारी का स्थान है। उन्होंने आगे कथन किया कि विवादित भूमि का कुल रकबा 4 बिस्वा है जो छोटी पट्टी के रूप में प्रार्थीगण के खेतों से मिली हुई है उक्त भूमि को अप्रार्थीगण के पक्ष में बिना किसी सूचना के गैर कानूनी तौर पर आवंटन कर दिया है जबकि नियम 19 के तहत सभी लगते हुए खेतों के खातेदारों को सूचित करके ही नीलामी के द्वारा भूमि का आवंटन करना चाहिये था। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का ही कब्जा था। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि पर आज दिनांक तक न तो कोई काश्त ही की गई है न ही उक्त भूमि पर उनका कब्जा रहा है। आवंटन कमेटी ने नियमों की पालना किए

Scanned by CamScanner

लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पिता/पति के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन खसरा नम्बर 1214/4 रकबा 5 बिस्वा निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश आज दिनांक 08.06.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते